

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

गोपाल बनाम श्योकिशान
 किस्म मुकदमा नं. 01/विधि/2023 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.3.23	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 A CPC द्वारा वकील श्री <u>शमेश कुमार कटार</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक <u>11.7.23</u> को पेश हो।	
11.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकील छाया डिपॉ ई रजिस्ट्र की अवधि 3 माह से अधिक का समय बीत चुका है। प्रपत्र में वर्णित खसरा ले. 684, के सम्बन्ध में 29/शवा/2023 बानवान श्योकिशान बनाम गोपाल दर्ज हुआ है। जिसमें वकील श्री शमेश कटार ने प्रतिवादीगण की ओर से कालतनामा उत्तुह कर दिया है। यह पत्रावली अब सारहीन होने से न्यायालय इस पत्रावली को ज़रकार रखना उचित नहीं समझता है। अतः पत्रावली खारिज की जाकर नम्बर ले कम की जाकर वाद सं. 29/शवा/ 2023 के साथ संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। निष्पत्ति सुनाया गया।	



[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
 नैनवां (बून्दी)